प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.05.2021 जनपद देवरिया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा कंटेनमेन्ट जोन का किया गया निरीक्षण।

आज दिनांक 11.05.2021 को अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोन्दा कोविड–19 से सवंमित मरीज के घर के पास बने कंटेनमेन्ट जोन का निरीक्षण करते हुए वहां ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मी को उचित दिशा निर्देश दिये गये। साथ ही साथ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के दौरान कंटेनमेन्ट जोन को समय–समय पर चेक किया जाये यदि कोविड–19 से सवंमित मरीज को कोई परेशानी होती है तो नियमानुसार संबन्धित को अवगत कराते हुए समाधान कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में जनपद देवरिया के समस्त क्षेत्राधिकारी गण द्वारा अपने–अपने संबन्धित उप जिलाधिकारी के साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत थानों के ग्रामों में बने कंटनमेन्ट जोन का निरीक्षण करते हुए बैरियर को चेक किया गया तथा लाउडहेलर के माध्यम से कोविड–19 संक्रमित मरीज को आवश्यक जानकारी देते हुए आवश्यक नम्बरों को बताया गया, जिससे किसी प्रकार की समस्या पर अपनी समस्या नम्बरों पर बताने पर उसका निराकरण किया जायेगा एवं वहॉ ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिये गये। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.05.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 10.05.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में–

01–आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही–'

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.भरत सिंह पुत्र स्व0 तेज नरायण सिंह सा0 पड़री गजराज थाना मईल देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 ली अवैध देशी शराब प्रत्येक 200 एमएल कुल 4.4 लीटर बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.पीर मोहम्मद पुत्र मो0 करीम अंसारी सा0 देसरी वार्ड नं0 3 थाना देसरी जिला वैशाली बिहारी हाल मुकाम पड़री गजराज थाना मईल देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली अवैध देशी शराब प्रत्येक 200 एमएल कुल 04 लीटर बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02–निरोधात्मक कार्यवाही–

दिनांक 10.05.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है–

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 39 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारीः–

दिनांक 10.05.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 06 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना गौरीबाजार– मु0अ0स0 136ध्2021 धारा 363,366 भा0द0वि0 व 7ध्8 पाक्सो एक्ट, नाम पता अभियुक्त–पंकज पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल सा0 मठिया माफी थना गौरीबाजार देवरिया।

➡ थाना रुद्रपुर – मु0अ0स0 105ध्2021 धारा 307,504 भा0द0वि0, नाम पता अभियुक्त–01.आरिफ अली पुत्र अख्तर अली 02.आशिफ अली पुत्र अख्तर अली सा0 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली देवरिया।

➡ थाना खामपार – मु0अ0सं0 63ध्2021 धारा **147/148/149/332/333/353/336/307/392/511/188/269 ipc 7CLA Act** 51(ठ) आपदा प्रबन्धन अधि0, व 134(1)/130 (।)(1)(2) लोक प्रतिनिधित्व अधि0 व 3ध्4 लोक सम्पति क्षति निवा0 अधि0, प्रकाश मे आये गिर0 अभि0–01. रामेश्वर कुशवाहा पुत्र परशुराम कुशवाहा 02.मिठाई प्रसाद पुत्र बाबूराम प्रसाद 03.राकेश शर्मा पुत्र विजय शर्मा सा0 खामपार थाना खामपार जनपद देवरिया

04–जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही–

दिनांक 10.05.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 179 वाहनों से 1,77,000 रूपये शमन शुल्क (ई–चालान) किया गया।